....

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, जमुई
सत्र वाद संख्या :– 648/2010
जमुई थाना कांड संख्या :– 8/2010
सी0एन0आर (CNR) :– BRJA01-000605-2010
बिहार सरकार बनाम राजकुमार मंडल एवं अन्य

फार्म–ए

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम्, जमुई प्रस्तुतः– श्री अमित कुमार जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम्, जमुई निर्णय की तिथिः– 27.05.2026 सत्र वाद संख्या :– 648/2010 सी0एन0आर (CNR) :– BRJA01-000605-2010 जमुई थाना कांड संख्या :– 8/2010 धाराः– 147, 341, 323, 324, 307, 504 एवं 427 भा0द0वि0	
परिवादी/सूचक	बिहार सरकार द्वारा सूचक चंद्रदेव मंडल, पिता– स्व0 किशुन मंडल, ग्राम– मंझवे, थाना–जमुई, जिला–जमुई।
अभियोजन की ओर से	श्री संजीव कुमार सिंह, विद्वान अपर लोक अभियोजक।
अभियुक्तगण	**1:– राजकुमार मंडल**, उम्र करीब 56 वर्ष, पिता– स्व0 मथुरा मंडल। **2:– विनोद मंडल**, उम्र करीब 48 वर्ष, पिता– स्व0 मथुरा मंडल। **3:– सीताराम मंडल**, उम्र करीब 63 वर्ष, पिता– स्व0 मथुरा मंडल। सभी साकिनः– मंझवे, थानाः– जमुई, जिलाः– जमुई।
बचाव पक्ष की ओर से	मो0 मंजुर आलम, विद्वान अधिवक्ता।

फार्म–बी

अपराध की तिथि	08.01.2010
प्राथमिकी की तिथि	08.01.2010
आरोप गठन की तिथि	17.01.2011
साक्ष्य बंद होने की तिथि	13.01.2026
निर्णय हेतु निर्धारण की तिथि	27.05.2026
निर्णय की तिथि	27.05.2026
सजा की तिथि	N.A

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, जमुई
सत्र वाद संख्या :– 648/2010
जमुई थाना कांड संख्या :– 8/2010
सी0एन0आर (CNR) :– BRJA01-000605-2010
बिहार सरकार बनाम राजकुमार मंडल एवं अन्य
उपस्थित– श्री अमित कुमार
जिला सत्र न्यायाधीश– पंचम्, जमुई
निर्णय की तिथि:– 27.05.2026

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में उपरोक्त नामित अभियुक्त राजकुमार मंडल, विनोद मंडल एवं सीताराम मंडल के विरूद्व धारा 147, 341, 323, 324, 307, 504 एवं 427 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप गठन का विचारण किया गया हैं।

2. यह काण्ड सूचक चंद्रदेव मंडल के फर्दब्यान पर थाना जमुई में प्राथमिकी संख्या 8/10 दिनांक 08.01.2010 को धारा 341, 323, 324, 307, 447, 504, 427, 34 भा0द0वि के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज हुआ तथा अन्वेषण उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप–पत्र संख्या– 134/10, धारा 341, 323, 324, 307, 447, 504, 427 भा0द0वि के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए समर्पित किया गया। इस मामले में विद्वान सी0जे0एम, जमुई ने आरोप–पत्र में अंकित अभियुक्त राजकुमार मंडल, विनोद मंडल, सीताराम मंडल एवं मथुरा मंडल के विरूद्व भा0द0वि की धारा 341, 323, 324, 307, 447, 504, 427, 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए मामले में दिनांक 31.05.2010 को संज्ञान लिया तथा उपरोक्त अभियुक्त का मामला विचार हेतु सत्र न्यायालय को दौरा सुपुर्द किया।

3. इस वाद के एक अभियुक्त मथुरा मंडल, पिता– स्व0 बालो मंडल, साकिन–मंझवे, थाना–जमुई, जिला–जमुई का इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28.05.2025 द्वारा अभियुक्त की मृत्यु हो जाने के कारण अभियुक्त मथुरा मंडल के वाद का विचारण को इस वाद से समाप्त किया गया।

4. अभियोजन की केस फर्दब्यान के आधार पर संक्षेप में यह हैं कि दिनांक 08.01.2010 को दिन में करीब 12 बजे सूचक चंद्रदेव मंडल के खेसारी लगा खेत से होकर सूचक के बस्ती के राज कुमार मंडल, विनोद मंडल, सीताराम मंडल एवं मथुरा मंडल प्याज का रोपनी करने के लिए पानी ले जा रहे थें। जिससे खेसारी, पानी से बर्बाद हो रहा था। जब सूचक ने मना कि पानी से खेसारी बर्बाद हो जाएगा। इसी बात पर उक्त सभी आदमी से बाताबाती होने लगा तभी मथुरा मंडल बोला कि मारो साले को। इसी बात पर विनोद मंडल अपने हाथ में लिए खंती से सूचक के माथा पर मारा जिससे सर फट गया और राज कुमार मंडल सूचक का कमर पकड़ कर जमीन पर पटक दिया एवं लाठी और लात–घुसा से मारने लगा। जब बचाने के लिए सूचक का बेटा आया तो उसे भी जान मारने की नियत से राज कुमार मंडल अपने हाथ में लिए खंती से सर पर दो खंती मारकर जख्मी कर दिया एवं मथुरा मंडल लाठी तथा लात–मुक्का से पिटने लगा। तब तक बस्ती के अनिल मंडल, नंदकिशोर मंडल एवं सूचक के छोटे बेटे मंडल दौड़कर आया जो घटना को देखा एवं दवा करवाने हेतु अस्पताल लाये।

5. यह काण्ड चंद्रदेव मंडल द्वारा दिनांक 08.01.2010 को थाना में दिये गये फर्दब्यान के आधार पर थानाध्यक्ष जमुई को काण्ड दर्ज करने हेतु अग्रसारित किया गया, जिसके आधार पर जमुई थाना काण्ड संख्या 8/10 दिनांक 08.01.2010 धारा 341, 323, 324, 307, 447, 504, 427, 34 भा0द0वि के अंतर्गत दर्ज किया गया और अ0नि0 नुनु कुमार, को अनुसंधानकर्ता के रूप में अनुसंधान करने का भार सौंपा गया।

6. अनुसंधान के दौरान अनुसंधानकर्ता द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण, गवाहों का ब्यान के पश्चात् अभियुक्तों के विरूद्व धारा 341, 323, 324, 307, 447, 504, 427 भा0द0वि के अंतर्गत आरोप–पत्र संख्या 134/2010 दिनांक 26.05.2010 को समर्पित किया गया। तद्नुसार इन्हीं धाराओं में अभियुक्त के विरूद्व आरोपों का संज्ञान दिनांक 31.05.2010 को लिया गया और वाद को सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारण किये जाने योग्य पाकर वाद को सत्र न्यायालय में दौरा सुपूर्द कर दिया गया।

7. यह कि दौरा सुपूर्दगी के बाद यह वाद कई न्यायालयों से अन्तरित होकर इस न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु दिनांक 18.08.2023 को प्राप्त हुआ।

8. यह कि विद्वान न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरूद्व धारा 147, 341, 323, 324, 307, 504, 427, 34 भा0द0वि के अन्तर्गत आरोप का गठन दिनांक 17.01.2011 को किया गया, जिसे पढ़कर अभियुक्तों को हिन्दी में सुनाया गया और अभियुक्तों ने श्रवणोपरांत अपराधों को स्वीकार नहीं किया और वे अपने को निर्दोष बताते हुए विचारण का दावा किया।

9. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के बाद दिनांक 15.01.2026 को अभियेक्तों का द0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत कथन लिपिबद्व किया गया अपने धारा 313 द0प्र0सं0 के कथन में अभियुक्त स्वयं का निर्दोष बताये तथा इस केस में झूठा फंसाये जाने का कथन किया हैं।

10. अब इस न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह हैं कि क्या अभियोजन आरोपित अभियुक्तों के विरूद्व लगाये गये आरोपो को युक्तियुक्त संदेहों के परे साबित करने में सफल हो सका हैं?

अभियोजन/बचाव पक्ष/ न्यायालय साक्ष्य

(क) अभियोजन मौखिक साक्ष्यः–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रवृति (चक्षुदर्शी साक्ष्य, पुलिस साक्ष्य, विशेष साक्ष्य, चिकित्सक साक्ष्य, पंच साक्ष्य, अन्य साक्ष्य)
पी.डब्लू–1	युगल मंडल	अन्य साक्ष्य
पी.डब्लू–2	रानी देवी	अन्य साक्ष्य
पी.डब्लू–3	मंटु मंडल	अन्य साक्ष्य
पी.डब्लू–4	चंद्रदेव मंडल	सूचक
पी.डब्लू–5	डॉ0 राजेश कुमार	चिकित्सक साक्ष्य

(ख) विपक्षी मौखिक साक्ष्यः–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रवृति (चक्षुदर्शी साक्ष्य, पुलिस साक्ष्य, विशेष साक्ष्य, चिकित्सक साक्ष्य, पंच साक्ष्य, अन्य साक्ष्य)

नहीं	नहीं	नहीं

(क) अभियोजन प्रदर्शः–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरणी
1.	पी1 / पीडब्लू–4	फर्दब्यान पर सूचक के अंगूठे का निशान।
2.	पी2 / पीडब्लू–5	जख्मी युगल मंडल का जख्म जांच प्रतिवेदन।
3.	पी3 / पीडब्लू–5	जख्मी युगल मंडल का पूरक जख्म जांच प्रतिवेदन।
4.	पी4 / पीडब्लू–5	जख्मी चंद्रदेव मंडल का जख्म जांच प्रतिवेदन।
5.	पी5 / पीडब्लू–5	जख्मी चंद्रदेव मंडल का पूरक जख्म जांच प्रतिवेदन।

(ख) बचाव पक्ष की ओर से प्रदर्शः–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरणी
नहीं	नहीं	नहीं

(ग) न्यायालय प्रदर्शः–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरणी
नहीं	नहीं	नहीं

(घ) वस्तु प्रदर्शः–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरणी
नहीं	नहीं	नहीं

11. अभियोजन के ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्षियों में अभियोजन साक्षी संख्या 01 युगल मंडल ने अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दिया हैं कि घटना आज से तीन साल पहले की हैं। समय 12 बजे दिन का हैं। मैं अपने खेत में प्याज की क्यारी बना रहा था। मेरे साथ चंद्रदेव मंडल व मंटू भी थे। मथुरा मंडल का बेटा, विनोद, राजकुमार, सीताराम मंडल मेरे खेत को वोरिंग के पानी से भींगा दिया। मेरे पिता जी मना किये तो मथुरा मंडल व अन्य नहीं माने तथा मथुरा मंडल मारने का आदेश दिया तो सीताराम मंडल मेरे पिता जी को लाठी से मारा, पिता जी का सिर फट गया व हाथ टुट गया। राजकुमार मंडल मेरे पिता जी को मारने लगा । मैं बचाने गया तो राजकुमार मंडल पुनः सर पर मारा। मेरा ईलाज सरकारी अस्पताल जमुई में हुआ, वहीं पुलिस आई, ब्यान ली।

प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने साक्ष्य दिया हैं कि मैं अपने खेत का खाता, खेसरा नहीं बता सकता हूं। उत्तर साहेब साव की जमीन है। चंद्रदेव मंडल व सहदेव मंडल घटना के समय अपने खेत पर नहीं था। मथुरा मंडल के खेत के आर पर पम्पींग सेट हैं। मथुरा मंडल पचासो साल से पानी पटाता हैं। मेरे पिता जी पानी ले जाने से मना किये। मेरे पिता

जी चार–पांच बार मना किए लेकिन मथुरा मंडल बोरिंग का पानी खुला छोड़ दिया। मथुरा मंडल बोरिंग का पानी सीधे मेरे खेत में गिरा दिया। मथुरा मंडल के बोरिंग वाला खेत 6 कट्ठा का हैं। 6 कट्ठा खेत में प्याज रोपा था। मथुरा मंडल अपना खेत पटाया था। मैं आज से पहले भी इस केस में ब्यान दिया हूं उसके बाद आज ब्यान दिया हूं। पुलिस के पास पहले ब्यान हुआ। मैं पुलिस के समक्ष ब्यान दिया था कि विनोद मुझे सावल से मारा। घटना के समय गांव वाले इकट्ठा नहीं हुए।

12. अभियोजन साक्षी संख्या 2 रानी देवी अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दिया हैं कि घटना आज से तीन साल पहले समय 12 बजे व 3 बजे दिन की हैं। मैं घर में थीं। पहले खेत में मेरे पिता जी (ससुर) के साथ मारपीट हुआ तो ससुर भाग कर घर चले आये। मथुरा मंडल जान मारने को कहा तो राजमुमार मेरे ससुर को खंती से मारने लगा। इनका हाथ टूट गया हाथ पर सीताराम मारा। युगल मंडल छुड़ाने गये तो विनोद मंडल जान मारने की नियत से उनके सर पर मारा। माथा फट गया। डर के मारे कोई नही बोले। सीताराम मुझें भी लाठी से मारा। मुदालय बराबर गाली–गलौज करते हैं। मारपीट मेरे दरवाजे पर हुई। जमुई में दोनो का अस्पताल में ईलाज चला। मुदालय मथुरा मंडल, विनोद मंडल, सीताराम मंडल, राजकुमार मंडल आये हैं जो न्यायालय में खड़ें हैं मैं इनको पहचानती हूं।

प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने साक्ष्य दिया हैं कि मेरी ननद की शादी में समुदायिक भवन में बारात को ठहरने नहीं दिया गया था। हमलोगों को तकलीफ हुआ था। बाराती को भी दिक्कत हुआ था। मुकदमा के 10 माह पूर्व बारात आयी थी। मेरे पति व ससूर मुदालय के हरकत की शिकायत खेत पर किया जिसपर मुकदमा हो गया। मेरा गांव किस पंचायत में हैं नहीं पता। मुखियाका नाम नहीं जानती हूं। सरपंच का नाम भी नहीं जानती। चौकीदार का नाम भी नहीं जानती। ये सभी नवी नगर के हैं। मंझवे से नवी नगन 1–2 कि0मी0 होगा। हमलोग नदी पार होकर ही जमुई आते हैं। मेरे रोड से मुखिया का घर आघा कि0मी0 की दूरी पर हैं। मंझवे बड़ी बस्ती हैं। हिन्दु–मुसलमान की बस्ती हैं। घटना के पहले घटनास्थल पर 500 लोग उपस्थित थें। नट लोग भी था। इसमें से कोई मुदालय को पकड़ा नहीं। घटनास्थल के पास घर के पश्चिम हमलोगो की खतीयानी हैं। मुदालय का खेत मेरे खेत के दोनो तरफ हैं। बोरिंग आर पर हैं। बोरिंग से मुदालय का खेत अगल–बगल हैं। पाईप लगा कर पानी घटना के दिन नहीं ले गया। मुदालय के खेत में प्याज लगा था। प्याज में पानी जरूरी हैं। मुदालय के खेत में पानी ले जाने का रास्ता मेरे खेत से होकर ही हैं। खेत पर जो घटना घटी वहां मार हुआ। प्याज व खेसारी के खेत के बीच मेरे खेत में मार हुआ। हमलोग पानी नहीं ले जाने देना चाहते थें। बूट व प्याज लगाया गया था। दोनों खेत में खून गिरा था। प्याज व बूट के खेत में जो मार हुआ उसकी खबर थाना में नहीं दियें। खेत में मार होने के तीन घंटा बाद घर पर मार हुआ। खंती के मार से मेरा ससुर व मेरा पति युगल मंडल के सर पर लगा। दोनों का कपड़ा खून से भींग गया था। मेरे मालिक गंजी व लूंगी पहने थें। ये सभी खून से भींग गया था। खून से सना कपड़ा को दरोगा जी को दे दिए थें। मैं दरोगा के यहां नहीं गई थीं। दरोगा घर पर आये थें। प्रश्न :– दरोगा जी खून सना मिट्टी का नमूना लिया? उत्तरः– साक्षी चूप रही। मैं दरोगा जी से कही थीं कि युगल मंडल छुड़ाने गये तो विनोद मंडल जान मारने की नियत से मारा। यह ब्यान भी दी थी कि मथुरा मंडल घर पर आदेश किया तो विनोद मंडल मारा। मैं यह भी बोली थी कि सीताराम मुझें लाठी से मारा। मैं अपने जख्म का ईलाज गांव के डॉक्टर से करवाई। मुदालय मेरे साथ बराबर मारपीट करते हैं इसका मुकदमा नहीं की। यह कहना गलत हैं कि मेरे व मेरे ससुर के शरीर पर जख्म नहीं था तथा हमलोगा जाली जख्म प्रतिवेदन बनवाकर केस किए। मथुरा मंडल उम्रदराज हैं तथा वह लाठी लेकर चलते हैं। यह

कहना गलत हैं कि हमलोग मुदालय का जमीन जो सटा हुआ हैं उसे हड़पने के लिए झूठा केस किए हैं।

13. अभियोजन साक्षी संख्या 3 मंटु कुमार अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दिया हैं कि घटना दिनांक 08.01.2010 के दिन 12:00 बजे की हैं। उस दिन मेरे पिता चन्द्रदेव मंडल अपने खेसारी का खेत देखने मंझवे बहियार गये थें। खेत पहुंचकर देखे कि मेरे खेत में पानी बह रहा था जो राजकुमार मंडल, सीताराम मंडल, विनोद मंडल एवं मथुरा मंडल के द्वारा गिराया जा था। जब मेरे पिता ने पानी गिराने से मना किए तो उक्त अभियुक्तगण मेरे पिता के साथ गाली–गलौज तथा मारपीट करने लगें। विनोद मंडल रॉड से मेरे पिता चन्द्रदेव मंडल को माथा पर मारा जिससे माथा फट गया और दूसरा रॉड उनके हाथ पर प्रहार किया जिससे उनका हाथ टुट गया जब मेरा भाई जुगल मंडल पिता को बचाने गया तो उसे भी राजकुमार मंडल ने फरसा से मारा जिससे मेरे भाई जुगल मंडल का सर कट गया और जमीन पर गिर गया एवं और सभी अभियुक्तगण ने भी मेरे भाई जुगल मंडल एवं पिता चन्द्रदेव मंडल के साथ मारपीट किया था। घटनास्थल पर मैं खाना लेकर जा रहा था तो मैं, भाभी रूबी देवी, मां सावित्री देवी, बहियार के एक व्यक्ति जिनका नाम जयराम मंडल हैं सभी लोग वहां पहुंचे थे और सभी जख्मीयों को लेकर सदर अस्पताल जमुई लाये जहां मेरे भाई एवं पिता जी का ईलाज हुआ। दरोगा जी हमलोगों का ब्यान अस्पताल में लिये थें।

प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने साक्ष्य दिया हैं कि मुदालयगण मेरे चचेरे भाई हैं। मथुरा मंडल की मृत्यु हो चुकी हैं। दोनों पक्षों के मध्य जगह–जमीन का बटवारा हो चुका हैं। घटनास्थल से खेत लगभग 10 मिनट की दूरी पर स्थित हैं। मैं पिता जी के लिए खाना लेकर जा ही रहा था कि हल्ला हुआ कि चन्द्रदेव मंडल के साथ मारपीट हो रहा हैं। जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो मेरे पिता जी गिरे पड़े थें। उनके माथा से खून गिर रहा था और हाथ फुला हुआ था और मेरे पिता जी ने कहा था कि राजकुमार मंडल ने मारपीट किया था। जिस खेत में मेरे पिता जी गिरे हुए थे उसका खाता–खसरा मैं नहीं बता सकता, वह हमारा खानदानी खेत हैं। घटनास्थल की चौहद्दी पूरब में गिरीश मंडल का मकई लगा खेत, पश्चिम में राजेन्द्र राम का गेहूं लगा खेत, उत्तर और दक्षिण में मुदालयगण का खेत हैं। मुदालयगण के खेत के बीच में मेरा खेत हैं। जब हमलोग घटनास्थल पर पहुंचे थे तो कुछ मुदालयगण वहां से भाग गये थे तथा कुछ वहीं पर थें। मुदालयगण मेरे साथ मारपीट नहीं किए थें। उसके बाद हमलोग पिता जी एवं भाई का ईलाज करवाये थे। अस्पताल से घ ार 7 से 8 दिन के बाद गये थे। मेरे पिता जी 7–8 दिन अस्पताल में भर्ती रहे थें। परिवार में विचार–विमार्श होने के बाद मुकदमा किया गया था। दरोगा जी ने मेरा ब्यान अस्पताल में लिये थें। मैंने दरोगा जी यह बताया था कि विनोद मंडल ने रॉड से मेरे पिता को माथा पर मारा था जिससे उनका माथा फट गया और दूसरा रॉड उनके हाथ पर प्रहार किया था जिससे उनका हाथ टूट गया था तथा जब मेरा भाई जुगल मंडल पिता को बचाने गया तो उसे भी राजकुमार मंडल ने फरसा से मारा जिससे मेरे भाई जुगल मंडल का सर कट गया।

14. अभियोजन साक्षी संख्या 4 चंद्रदेव मंडल सूचक अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दिया हैं कि मैं इस केस का सूचक हूं। यह केस मैंने दिनांक–08.01.2010 को जख्मी हालत में सदर अस्पताल जमुई में जमुई पुलिस पदाधिकारी के समक्ष अपना फर्दबयान अंकित कराया था। दिन के बारह बजे मैं अपने खेसारी लगे खेत को देखने गया था। उसी वक्त राजकुमार मण्डल, विनोद मण्डल, सीताराम मण्डल, मथुरा मण्डल अपने प्याज का रोपनी के लिए पानी ले जा रहे थे जिससे मेरा खेसारी का फसल बर्बाद हो रहा था। मैं अपने खेत से होकर पानी ले जाने के लिए मना किया तो इसी क्रम में सभी अभियुक्तों ने मुझे गाली–गुप्ता कर

अपने हाथ में लिए लाठी–डण्डा से मारपीट कर मेरा हाथ तोड़ दिया और सिर फाड़ दिया। मुझे मारते देख मेरा बेटा मण्टू मण्डल दौड़कर आया तो मुझे उठाकर इलाज हेतु सदर अस्पताल जमुई ले गया जहां मेरा इलाज हुआ। यही बयान मैंने पुलिस को दिया था जिस पर मैंने अपने अंगूठे का निशान दिया जिसे आपत्ति के साथ प्रदर्श–**प्रदर्श–P-1/PW4** अंकित किया गया।

प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने साक्ष्य दिया हैं कि अभियुक्तगण हमारे गोतिया हैं। जगह–जमीन के हिस्सा का विवाद था वह सरपंच साहब ने बंटवारा कर दिया है। अब विवाद खत्म हो गया है। उसी जमीन के विवाद को लेकर यह केस हुआ था। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त सीताराम मण्डल, राजकुमार मण्डल और विनोद मण्डल ने मेरे साथ मारपीट नहीं किया था। भागने के क्रम में गिरने से मुझे चोट लग गई। हमारे गिरने के बाद अभियुक्तगण घर चले गए। इनलोगों के जाने के बाद मेरा बेटा आया और मुझे उठा ले गया। मेरे अलावा अन्य किसी को कोई चोट नहीं लगी। इस वाद के एक अभियुक्त मथुरा मण्डल की मृत्यु हो चुकी है। दारोगाजी ने जो मेरा फर्दबयान लिया है उसे मुझे पढ़कर नहीं सुनाया केवल मेरे अंगूठे का निशान ले लिया पुलिस के समक्ष मैंने अभियुक्तों के द्वारा मारपीट किए जाने की बात नहीं कही थी। और कोई गवाह मैं लाना नहीं चाहता हूं। अभियुक्तगण बेकसूर हैं।

15. अभियोजन साक्षी संख्या 5 डॉ0 राजेश कुमार अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दिया हैं कि On 08.01.2010, I was posted at Sadar Hospital, Jamui as a M.O. On same day at about 05:00 PM I had examined Yugal Mandal Hindu male S/o Chandradeo Mandal resident of village:- Manjhway P.S. Jamui Distt. Jamui and found following injuries.

i. Lacerated injury over apical scalp two in number measuring 6" X 1" X bone deep and another measuring 3" X 1" X bone deep for which X-ray prescribed.

ii. Swelling and tenderness over right shoulder region for which X-ray prescribed.

Injury Caused by:- Hard and blunt substance.
Mark of Identification:- Til mark over right upper back.
Age on injury:- Within 24 hours.
Nature of injury:- Opinion reserved for both injuries.

On same day at about 05:05 pm I had examined Chandradeo Mandal aged about 50 years Hindu male S/o Kisun Mandal resident of village:- Manjhway P.S. Jamui Distt. Jamui and found following injuries.

i. Lacerated injury 4" X 1" X bone deep over upper of scalp, for which X-ray prescribed.

ii. Diffuse swelling and tenderness over right hand around thumb for which X-ray prescribed.

Injury Caused by:- Hard and blunt substance.
Mark of Identification:- Til mark over face.
Age on injury:- Within 24 hours.
Nature of injury:- Opinion reserved for both injuries.

Initially the nature of injury of injured Chandradeo Mandal and Yugal Mandal was reserved for want of X-ray report however the same have

been received on 10.01.2010 and I have prepared supplementary injury report of both the injured Chandradeo Mandal and Yugal Mandal.

X-ray of injured Yugal Mandal shows no bony injury hence, both injury of Yugal Mandal was opined as simple in nature. The injury report of injured Yugal Mandal was prepared by me and bears my signature and the same is marked as exhibit P2/PW5 and the supplementary injury report of injured Yugal Mandal was also prepared by me and bears my signature and the same is marked as exhibit P3/PW5.

Supplementary injury of Chandradeo Mandal:- X- ray right hand (AP and Lat.) shows fracture of base of first metacarpal bone. On the above ground injury no. (i) i.e Lacerated injury over scalp was opined as simple and injury no. (ii) which was over right hand was opined as grievous in nature. Both injury was caused by hard and blunt substance. The injury report of injured Chandradeo Mandal was prepared by me and bears my signature and the same is marked as exhibit P4/PW5 and the supplementary injury report of injured Chandradeo Mandal was also prepared by me and bears my signature and the same is marked as exhibit P5/PW5.

प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने साक्ष्य दिया हैं कि Today both the injured persons are not present before me. I have not mentioned the colour of injury. X-ray plate of both injured is not available before me today. On the basis of clinical ground I have opined the age of injury. Injury of both the persons may be due to fall on hard and blunt surface. It is wrong to say that I have prepared table report at the instance of injured persons.

मंतव्य (Findings)

16. उपरोक्त साक्ष्य के विशलेषण के पश्चात् न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या अभियुक्त राजकुमार मंडल, विनोद मंडल, सीताराम मंडल द्वारा आरोपित आरोप कि अभियुक्तों ने सूचक एवं उनके परिवार के साथ जान मारने की नियत से मारपीट किया था?

उपरोक्त साक्ष्यों के विश्लेषण एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के पश्चात् ह स्पष्ट होता हैं कि प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण राजकुमार मंडल, विनोद मंडल एवं सीताराम मंडल के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 147, 341, 323, 324, 307, 504 एवं 427 के अंतर्गत आरोप गठित यिका गया था। मामले की कार्यवाही के दौरान उभय पक्षों सूचक एवं अभियुक्तगण के मध्य आपसी समझ–बूझ, सामाजिक मेल–मिलाप एवं पारिवारिक संबंध्पों की पुनर्स्थापना के उद्वेश्य से एक संयुक्त रूप से लिखित एवं हस्ताक्षरित संधि–पत्र इस मामले में न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया हैं।

17. दाखिल संधि–पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता हैं कि दोनों पक्षों ने स्वेच्छस से, बिना किसी दबाव, प्रलोभन अथवा भय के, अपने पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए तथा गांव–समाज में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की दृष्टि से, इस वाद में अंकित विवाद का निपटारा आपसी सहमति के ाअधार पर करने का निर्णय लिया हैं। पक्षकारों ने न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर संधि–पत्र की अंतर्वस्तु की पुष्टि की हैं तथा यह अभिकथन किया हैं कि उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं हैं।

18. यह विधि सम्मत हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 447, 504 एवं 427 के अंतर्गत आरोपित अपराध समझौत योग्य (Compoundable) अपराधों की श्रेणी में आते हैं और इनमें पक्षकारों के बीच संधि के आधार पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जा सकता हैं। चूंकि उभय पक्षों ने स्वतंत्र इच्छा से संधि–पत्र दाखिल किया हैं तथा इसकी वैधता एवं स्वेच्छा–प्रकृति पर न्यायालय को कोई संदेह नहीं हैं, अतः इन धाराओं के अंतर्गत संधि स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होती हैं।

19. अब प्रश्न यह हैं कि धारा 324 (खतरनाक आयुध से स्वेच्छया उपहति) एवं धारा 307 (हत्या का प्रयास) भा0द0वि0 के संबंध में क्या मंतव्य अपनाया जाए, क्योंकि ये दोनों धाराएं दं0प्र0सं0 की धारा 320(1)(2) के अंतर्गत समझौता योग्य नहीं हैं। अतः इन धाराओं के अंतर्गत आरोपों का परीक्षण गुणदोष के आधार पर किया जाता हैं।

20. अभिलेख के समीक्षोपरांत यह तथ्य उभरकर आता हैं कि स्वयं सूचक पी0डब्लू–4 चंद्रदेव मंडल ने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया हैं कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त सीताराम मंडल, राजकुमार मंडल एवं विनोद मंडल ने उनके साथ मारपीट नहीं की थीं तथा भागने के क्रम में गिरने से चोट लग गई। सूचक ने यह भी कहा कि अभियुक्तगण बेकसूर हैं तथा पुलिस के समक्ष भी मारपीट किए जाने की बात नहीं कही थीं। इसी प्रकार पी0डब्लू0–3 मंटु कुमार ने भी प्रति–परीक्षण में कहा हैं कि अभियुक्तगण ने उनके साथ मारपीट नहीं की थीं तथा दोनों पक्षों के मध्य जगह–जमीन का बंटवारा हो चुका हैं। अन्य साक्षियों के ब्यानों में भी पारस्परिक विरोधाभास एवं पुलिस के समक्ष दिए गए कथन से असंगति स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं।

21. धारा 307 भा0द0वि0 के अंतर्गत दोषसिद्धि हेतु हत्या का आशय (mens rea) एवं तदनुरूप कृत्य (actus reus) सिद्ध करना अनिवार्य हैं, प्ररंतु प्रस्तुत वाद में न तो आशय सिद्ध होता हैं और न ही ऐसा कोई कृत्य प्रमाणित होता हैं, क्योंकि स्वयं सूचक ने मारपीट से इनकार कर दिया हैं। इसी प्रकार धारा 324 भा0द0वि0 के अंतर्गत खतरनाक आयुध से उपहति का तथ्य भी अभियोजन सिद्ध करने में असफल रहा हैं, क्योंकि आयुध–विशेष (खंती, रॉड, फरसा, लाठी) के संबंध में साक्ष्यों में परस्पर विरोधाभासी कथन उपस्थित हैं तथा चिकित्सकीय साक्ष्य भी इन विसंगतियों को दूर करने में असमर्थ रहा हैं।

22. यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत हैं कि अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करना होता हैं तथा इस उत्तरदायित्व–भार को निभाने में किसी प्रकार की चूक का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए। पस्तुत वाद में अभियोजन के स्वयं के साक्षियों ने अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपों का खंडन किया हैं, जिसके फलस्वरूप धारा 324 एवं 307 भा0द0वि0 के अंतर्गत गुणदोष के आधार पर भी आरोप सिद्ध नहीं होते। साथ ही धारा 147 भा0द0वि0 (बल्वा) का आरोप भी, मूल आधार–धाराओं के संधि अथवा साक्ष्य–अभाव में समाप्त हो जाने के कारण, सिद्ध नहीं होता हैं।

23. उपरोक्त विवेचना के आलोक में यह स्पष्ट हैं कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 447, 504 एवं 427 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप दं0प्र0सं0 की धारा 320 के अंतर्गत संधि के आधार पर एवं धारा 147, 324 एवं 307 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप गुणदोष के आधार पर संदेह का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतिति होता हैं।

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, जमुई
सत्र वाद संख्या :– 648/2010
जमुई थाना कांड संख्या :– 8/2010
सी0एन0आर (CNR) :– BRJA01-000605-2010
बिहार सरकार बनाम राजकुमार मंडल एवं अन्य
उपस्थित– श्री अमित कुमार
जिला सत्र न्यायाधीश– पंचम्, जमुई
निर्णय की तिथिः– 27.05.2026

आदेश

अतः अभियुक्त, राजकुमार मंडल, विनोद मंडल एवं सीताराम मंडल को धाराः– 341, 323, 504, 427 को दंड प्रकिया की धारा 320 (8) के आधार पर दोषमुक्त किया जाता हैं एवं धारा 147, 324, 307 में साक्ष्य के आभाव में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता हैं।

1. कार्यालय को यह निर्देश दिया जाता है कि निर्णय/वाद अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करने से पूर्व सी0आई0एस0 में अद्यतन करें।

2. कार्यालय को यह निर्देश दिया जाता है कि सभी तरह के अधिपत्र को जिन्हें निर्गत किया गया था और जिसे निष्पादित नहीं किया गया था, उसे संबंधित थाना में अविलंब वापस करा ले।

3. कार्यालय लिपिक अभिलेख को अभिलेखागार में नियमानुसार जमा करें।

यह निर्णय मेरे द्वारा लेखापित एवं संशोधित
कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित

(अमित कुमार)
जिला सत्र न्यायाधीश– पंचम्,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक 27.05.2026

(अमित कुमार)
जिला सत्र न्यायाधीश–पंचम्,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक 27.05.2026

अभियुक्त/अभियुक्तगण की विवरणी

अभियुक्त का कम संख्या	अभियुक्त/अभियुक्तों का नाम	गिरफ्तार होने की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोप की धारा	विमुक्त /सजा	अधिरोपित सजा	426 द.प्र.सं. के लिए विचारण की अवधि के दौरान हिरासत में बिताया गया समय
1.	सीताराम मंडल	16.02.2010 20.01.2025	16.02.2010 31.01.2025	धाराः– 147, 341, 323, 324, 307, 504, 427, 34 भा0द0वि0	**विमुक्त**	–	11 दिन
2.	विनोद मंडल	29.03.2010 20.01.2025	29.03.2010 31.01.2025	,,	**विमुक्त**	–	11 दिन
3.	राजकुमार मंडल	29.03.2010 20.01.2025	29.03.2010 31.01.2025	,,	**विमुक्त**	–	11 दिन

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, जमुई
सत्र वाद संख्या :– 648/2010
जमुई थाना कांड संख्या :– 8/2010
सी0एन0आर (CNR) :– BRJA01-000605-2010
बिहार सरकार बनाम राजकुमार मंडल एवं अन्य
उपस्थित– श्री अमित कुमार
जिला सत्र न्यायाधीश– पंचम्, जमुई
निर्णय की तिथि:– 27.05.2026

अभियोजन मौखिक साक्ष्यः–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रवृति (चक्षुदर्शी साक्ष्य, पुलिस साक्ष्य, विशेष साक्ष्य, चिकित्सक साक्ष्य, पंच साक्ष्य, अन्य साक्ष्य)
पी.डब्लू–1	युगल मंडल	अन्य साक्ष्य
पी.डब्लू–2	रानी देवी	अन्य साक्ष्य
पी.डब्लू–3	मंटु मंडल	अन्य साक्ष्य
पी.डब्लू–4	चंद्रदेव मंडल	सूचक
पी.डब्लू–5	डॉ0 राजेश कुमार	चिकित्सक साक्ष्य

विपक्षी मौखिक साक्ष्यः–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रवृति (चक्षुदर्शी साक्ष्य, पुलिस साक्ष्य, विशेष साक्ष्य, चिकित्सक साक्ष्य, पंच साक्ष्य, अन्य साक्ष्य)
नहीं	नहीं	नहीं

अभियोजन प्रदर्शः–

कम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरणी
1.	पी1/पीडब्लू–4	फर्दब्यान पर सूचक के अंगूठे का निशान।
2.	पी2/पीडब्लू–5	जख्मी युगल मंडल का जख्म जांच प्रतिवेदन।
3.	पी3/पीडब्लू–5	जख्मी युगल मंडल का पूरक जख्म जांच प्रतिवेदन।
4.	पी4/पीडब्लू–5	जख्मी चंद्रदेव मंडल का जख्म जांच प्रतिवेदन।
5.	पी5/पीडब्लू–5	जख्मी चंद्रदेव मंडल का पूरक जख्म जांच प्रतिवेदन।

(अमित कुमार)
जिला सत्र न्यायाधीश– पंचम्,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक 27.05.2026

निर्णय हेतु निर्धारण की तिथि	27.05.2026
निर्णय की तिथि	27.05.2026
निर्णय अपलोड करने की तिथि	27.05.2026
निर्णय अपलोडकर्ता	कोर्ट रीडर सह डिपोजिशन राईटर